



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/29/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं.: 52/2025

दिनांक: 12.11.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. GCCO/II/31/49/2025-ADMN दिनांक 17.10.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापन की अनुपालना में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर अनंतिम आधार पर नव नियुक्ति के फलस्वरूप, आशुलिपिक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक किये जाते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Balram Meena	29.05.2005	On joining	CGST Appeal, Jaipur (on loan basis from CCO Jaipur)

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 12.11.2025 (अपराह्न) में कार्यभार मुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाएं गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें। चूँकि यह आवंटन नव नियुक्ति पर किया जा रहा है, अतः उपरोक्त अधिकारी को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(उत्कर्ष)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी, जयपुर।
- आयुक्त, सीजीएसटी (अपील्स), जयपुर।
- वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
- सम्बंधित अधिकारी।
- गार्ड फ़ाइल / नोटिस बोर्ड
- वेब मास्टर – जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।